दिनांक 03.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 03/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **चोरी के ट्रकों पर कूटरचित नम्बर डालकर अवैध रूप से प्रयोग कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 32 ट्रक/ट्राला, कीमत लगभग 10 करोड़ रूपये बरामद**

दिनांक 03.10.2021 को क्राइम ब्रान्च की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से चोरी के ट्रकों पर कूटरचित नम्बर डालकर अवैध रूप से संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–परवेन्द्र 2–लीलू उर्फ आदेश 3–अमित को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 32 ट्रक/ट्राला कीमत लगभग 10 करोड़ रूपये बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो संगठित गिरोह बनाकर चोरी के ट्रकों पर कूटरचित रजिस्ट्रेशन नम्बर, इंजन नम्बर, चेंचिस नम्बर डाकर अवैध रूप से संचालित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–परवेन्द्र निवासी पंजाबीपुरा थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

2–लीलू उर्फ आदेश निवासी लोहडा थाना जानी जनपद मेरठ।

3–अमित निवासी पटेलपुरी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी के 32 ट्रक/ट्राला कीमत लगभग 10 करोड़ रूपये।

जनपद प्रयागराज/थाना मेजा

- **10 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 18 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण (सोना–95 ग्राम, चाँदी–21 किलो 817 ग्राम)**
- **02 हजार 780 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 03.10.2021 को थाना मेजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पनासा पुल के पास से 10 अभियुक्तों 1–गंगा 2–फते 3–राजकुमार 4–कल्ला 5–भूरा 6–शम्भू उर्फ नेपाल 7–सेवा 8–चेतराम 9–मनीष उर्फ गिरीश 10–विक्रम उर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 18 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण (सोना–95 ग्राम, चाँदी–21 किलो 817 ग्राम), 02 हजार 780 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो घूम–घूम कर डेरा डालकर जीवन यापन करते है तथा कबाड़ बीनने के बहाने ज्वैलरी की दुकानों/घरों की रेकी कर रात्रि में चोरी की घटना कारित करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद प्रयागराज व अन्य प्रान्त में चोरी की कई घटनाऐं कारित की गई हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मेजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गंगा निवासी इशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2–फते निवासी मिल्किया जनपद शाहजहाँपुर।

3–राजकुमार निवासी इशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

4–कल्ला निवासी इशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

5–भूरा निवासी इशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

6–शम्भू उर्फ नेपाल निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

7–सेवा निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

8–चेतराम निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

9–मनीष उर्फ गिरीश निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

10–विक्रम उर्फ बल्लू निवासी बादशाही मण्डी थाना कोतवाली जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 18 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण (सोना–95 ग्राम, चाँदी–21 किलो 817 ग्राम)

2–02 हजार 780 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना पुवायां

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन, आला नकब, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 03.10.2021 को थाना पुवायां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जोशन तिराहा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रमेश सहित 07 अभियुक्तों 2–ओमेन्द्र उर्फ राजू 3–देवेन्द्र उर्फ डब्लू 4–प्रहलाद 5–राहुल 6–सुधीश 7–धीरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 चार पहिया वाहन, आला नकब, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रमेश के विरूद्ध जनपद बदायूँ, औरैया, कन्नौज, शाहजहाँपुर व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, गिरफ्तार अभियुक्त रमेश थाना मदनापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0

173 / 2021 धारा 457 / 380 भादवि व मु0अ0सं0 177 / 2021 धारा 457 / 380 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पुवायां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रमेश निवासी चंदोखा चिता पुख्ता थाना दातागंज जनपद बदायूँ।

2—ओमेन्द्र उर्फ राजू निवासी सेरहा थाना दातागंज जनपद बदायूँ।

3—देवेन्द्र उर्फ डब्लू निवासी पापड थाना दातागंज जनपद बदायूँ।

4—प्रहलाद निवासी कस्बा व थाना सोरो जनपद कासगंज।

5—राहुल निवासी कस्बा व थाना सोरो जनपद कासगंज।

6—सुधीश निवासी बरौर थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ।

7—धीरू निवासी सेहरा थाना दातागंज जनपद बदायूँ।

<u>बरामदगी</u>

1—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2—01 चार पहिया वाहन, आला नकब, 05 मोबाइल फोन आदि।

<u>जनपद बिजनौर / थाना कोतवाली शहर</u>

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 21 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 03.10.2021 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डावर रोड ग्राम उमरपुर मीरा के जंगल में लखपत की बन्द पडी फैक्ट्री के खण्डहर में घेराबन्दी कर 04 शातिर अभियुक्तों 1—शिवा 2—अनिल 3—अशोक 4—राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से चोरी की 21 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवा निवासी मो0काजीपाडा ईंदगाह रोड कलीम कालोनी के पास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2—अनिल निवासी लाडपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3—अशोक निवासी मो0काजीपाडा ईंदगाह रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4—राजू निवासी मो0काजीपाडा ईंदगाह रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—चोरी की 21 दो पहिया वाहन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **15 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **12 नाल विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 02.10.2021 को थाना नारखी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बछगाँव के पास घेराबन्दी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—राजू 2—रंजीत उर्फ पप्पे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 15 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 12 नाल विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रंजीत उर्फ पप्पे के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, अपहरण, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नारखी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी बछगाँव थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद, स्थाई पता ग्राम मनौरा थाना निधौलीकलाँ जनपद एटा।

2–रंजीत उर्फ पप्पे निवासी दतावली थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–15 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–12 नाल विभिन्न बोर।

4–भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद अयोध्या/थाना पटरंगा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 ट्रक बरामद**

दिनांक 03.10.2021 को थाना पटरंगा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिसामुद्दीन पुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 ट्रक बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.10.2021 को थाना पटरंगा क्षेत्रान्तर्गत ट्रक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा पर मु0अ0सं0 220/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद ट्रक उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पटरंगा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मेन्द्र कुमार निवासी कोटहवा ढबिया थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1–चोरी का 01 ट्रक।

जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 03.10.2021 को थाना परसरामपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मखौड़ा धाम के पास से अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना परसरामपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटनाऐं कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटनाओं के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से बरामद रूपया, आभूषण उक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजकुमार निवासी मधुकरपुर थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 05 हजार 500 रूपये नगद।

2—चोरी के चाँदी के आभूषण आदि।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर</u>

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 500 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 02.10.2021 की रात्रि थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवादा मोड से बनखण्डी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 500 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सद्दाम निवासी मौजमपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ, हालपता कादरवाडी थाना कादरचौक जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 500 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

3–01 स्विफ्ट डिजायर कार।

एस0टी0एफ0– वर्ष– 1997 में थाना छाता, जनपद मथुरा के तीहरे हत्याकाण्ड के अभियोग में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के उपरान्त भी फरार चल रहें रूपया 50,000/– के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राधाचरण को एसटीएफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांकः 02–10–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को वर्ष– 1997 में थाना छाता, जनपद मथुरा के तीहरे हत्याकाण्ड के अभियोग में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के पश्चात भी फरार चल रहें रूपया 50,000/– के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राधाचरण को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

राधाचरण पुत्र खचेरा निवासी ग्राम गौहारी, थाना छाता, जनपद मथुरा ।

घटनास्थलः दिनांक 02–10–2021, नियर बंगला स्कूल थाना क्षेत्र भक्तिनगर, सिलीगुडी वेस्ट बंगाल । दाखिला समयः 12.27 बजे दिनांक 03–10–2021, थाना छाता, मथुरा

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा के पर्यवेक्षण में श्री विनोद सिंह सिरोही, पुलिस उपाधीक्षक, एवं श्री देवेन्द्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, फील्ड यूनिट नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी द्वारा टीम गठित कर पुरस्कार घोषित अपराधियों तथा संगठित गैंग से सम्बन्धित वांछित अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा को सूचना प्राप्त हुई कि थाना छाता, जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/97 धारा 147/148/149/324/307/302 भादवि का अभियुक्त राधा चरन पुत्र खचेरा निवासी गौहारी थाना छाता मथुरा, जिसकी गिरफ्तारी पर रूपया 50,000/— का ईनाम घोषित है, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल क्षेत्र में छिपा हुआ है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर सुनियोजित ढ़ंग से घेराबन्दी एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए दिनांक 02—10—2021 को अभियुक्त राधाचरण, उपरोक्त को निकट बंगला स्कूल, थाना क्षेत्र भक्तिनगर, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको थाना छाता मथुरा के उक्त अभियोग में दाखिल किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त राधाचरण ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है तथा पेशे से वह हाइड्रोलिक मशीन का मैकेनिक है। बताया कि उसके गॉव के ग्राम प्रधान सुखीचन्द का उसके चाचा बने सिंह का वर्ष—1995 में विवाद (झगडा—फसाद)

हो गया था और इसी रंजिश को लेकर उसने (राधाचरण) अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष—1997 में गॉव के सुखीचन्द्र पुत्र गुरजानी, खचेरा पुत्र सुरजन, तथा बलिगराम पुत्र अमरी की हत्या कर दी थी, जिसमे वह लगभग एक साल तक जेल में रहा था और जमानत पर छुटने के बाद से ही वह अपराध कारित करने लगा था। उसका (राधाचरण) गॉव की उक्त रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान से फिर से झगडा हो गया था और उसने (राधाचरण) अपने भतीजे कर्मवीर के साथ मिलकर दिनांक 13—01—2018 को पूर्व की घटना में मृतक सुखीचन्द के पुत्र श्रवण की हत्या कर दी थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना छाता मथुरा पर मु0अ0स0ं 20/18 धारा 147/148/149/302/120 भादवि का अभियोक पंजीकृत हुआ है। उसके बाद वर्ष 2018 में विपक्षीगण ने उसके (राधा चरण) भतीजे की हत्या कचहरी में करा दी थी।

गिरफ्तार ईनामी अभियुक्त राधाचरण के सम्बन्ध में छानबीन करने पर ज्ञात हुआ है कि थाना छाता मथुरा के तीहरे हत्याकाण्ड में मु0अ0सं0 73/97 धारा 147,148,149,324,307,302 भादवि के केस में अभियुक्त राधाचरण को वर्ष—2020 में माननीय ए0डी0जे0 जनपद मथुरा की न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और सजा सुनाते समय मौका पाकर राधाचरण माननीय न्यायालय से फरार हो गया था और तभी से वह फरार चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राधाचरण की कुर्की का आदेश निर्गत कर दिया था और उसी समय वह अपने परिचित के सहयोग से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सिलिगुडी, वेस्ट बंगाल में जाकर अपनी फरारी काट रहा था और इसी अभियोग में अभियुक्त राधाचरण की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र आगरा के स्तर से रूपया 50,000/— का ईनाम घोषित हो रखा था।

उल्लेखनीय है कि फरारी के समय अभियुक्त राधाचरण के पुत्र धर्मवीर ने गुमराह करने हेतु दिनांक 13—10—2020 को अपने पिता राधाचरण के दिनांक 12—10—2020 को गुम होने के सम्बन्ध में मिथ्या सूचना थाना कैम्प पलवल हरियाणा पर प्र0सू0रि0 604/20 धारा 346 भादवि दर्ज करायी थी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 03—02—2018 को अभियुक्त राधाचरण द्वारा उपरोक्त मुकदमें में समझौता करने हेतु वादी मुकदमा श्री महेन्द्र सिंह पर दबाव बनाया गया था तथा समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 03—02—2018 को वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सरमन सिंह निवासी ग्राम गौहारी थाना छाता जनपद मथुरा द्वारा थाना छाता मथुरा पर एनसीआर नम्बर 312/20 धारा 506 भादवि बनाम राधाचरण अंकित करायी थी। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राधाचरण के विरूद्ध दिनांक 05—03—2021 को बिना जमानती वारण्ट किया गया था ।

अभियुक्त राधाचरण उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	73/97	147,148,149,324,307,302 भादवि	छाता	मथुरा
2	431/12	307/504 भादवि	छाता	मथुरा
3	490/15	392/411 भादवि	छाता	मथुरा
4	460/15	307/504/506 भादवि	छाता	मथुरा
5	523/15	384/394/307 भादवि	छाता	मथुरा
6	4/16	147/148/149/307 भादवि	छाता	मथुरा
7	5/16	3/25 आर्म्स एक्ट	छाता	मथुरा
8	15/16	420/467/468/471 भादवि	छाता	मथुरा
9	160/16	2/3 गैगेस्टर एक्ट	छाता	मथुरा
10	429/17	307/504/506 भादवि	छाता	मथुरा
11	20/18	147/148/149/120बी/302 भादवि	छाता	मथुरा
12	एनसीआर नं 12/18	506 भादवि	छाता	मथुरा
13	117/18	174ए भादवि	छाता	मथुरा
14	136/18	307 भादवि	छाता	मथुरा
15	137/18	3/25 आर्म्स एक्ट	छाता	मथुरा

गिरफ्तार अभियुक्त राधाचरण को थाना छाता मथुरा के मु0अ0स0 73/97 धारा 147/148/149/324/307/302 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना छाता जनपद मथुरा की पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————